

सत्र संबंधी संक्षिप्त जानकारी

(दिनांक 20 जुलाई, 2015 से 25 जुलाई, 2015 तक)

सत्र की अवधि	6 दिन
बैठकों की संख्या	6 दिन
प्रश्नों पर चर्चा	04 घंटे 13 मिनट
प्रथम अनुपूरक	05 घंटे 24 मिनट
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा	24 घंटे 25 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	47 घंटे 19 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	1696
तारांकित प्रश्न	964
अतारांकित प्रश्न	732
ग्राह्य तारांकित	561*
ग्राह्य अतारांकित	593*
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	1154
सदन में उत्तरित	37

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	06
सदन में पारित	06(एक विनियोग विधेयक सहित)

नियम-52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

प्राप्त सूचनाएं	02
ग्राह्य	00
अग्राह्य	02
सदन में चर्चा	00

* ग्राह्य तारांकित में 1 ब्रकेट प्रश्न को तथा ग्राह्य अतारांकित में 3 ब्रकेट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया

नियम-139 की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	16
ग्राह्य	04(दो एक विषय पर)
विचाराधीन/व्यपगत	04
अग्राह्य	08
सदन में चर्चा	03(दो एक विषय पर)

स्थगन प्रस्ताव

प्राप्त सूचनाएं	72
अग्राह्य	72

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	440
ग्राह्य	045
अग्राह्य	372
शून्यकाल में परिवर्तित	023
सदन में चर्चा	015

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	67
ग्राह्य	26
अग्राह्य	41

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	17
ग्राह्य	04
अग्राह्य	08
विचाराधीन/व्यपगत	05
सदन में चर्चा	03

नियम 142 के अधीन अल्पकालीन चर्चा

प्राप्त सूचनाएं	05
ग्राह्य	00
अग्राह्य	02
विचाराधीन/व्यपगत	03

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	308
ग्राह्य	30
अग्राह्य	66
विचाराधीन	212
सदन में प्रस्तुत	16
व्यपगत	07

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचना	05
ग्राह्य सूचना	00
अग्राह्य सूचना	03
विचाराधीन	02

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	03
पटल पर रखे गये	03

वित्तीय कार्य

वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं पारण

प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	06
पटल पर रखे गये	06

समितियों के प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति	01
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों	01
एवं संकल्पों संबंधी समिति	

- वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन (परफार्मेंस बजट)
- 31 मार्च, 2014 को समाप्त सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक संख्या -1
- छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2014-2015 के बजट की तृतीय तथा चतुर्थ तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा
- छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तकनीकी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से प्राप्त, 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन

सत्रकाल में - माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया। सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 2419 साहित्य उपलब्ध कराया गया। 3600 विजिटर्स ने विधानसभा की वेबसाइट का अवलोकन किया। शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं एवं गणमान्य नागरिकों को मिलाकर कुल 679 लोगों ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया। विधानसभा प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा 2200 सेवा प्रवेश पत्र, 4400 परिसर के प्रवेश हेतु, 500 अध्यक्षीय दीर्घा, 1500 प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा एवं 1600 दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी किए गए।